संख्या- 785/ 78-2-2004-25आई0टी0 / 2001

प्रेषक,

नवीन चन्द्र वाजपेई,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उ0प्र0शासन ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 | लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2004

विषय:- कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-08/ 78-आई0टी0-2001, दिनांक 12 सितम्बर,2001 द्वारा विभागों , सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों , निकायों, परिषद तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर,2001 में यू0पी0डेस्को, यू0पी0एल0सी0 तथा निक्सी को कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर,2001 में संशोधन कर शासनादेश सं0:-174/ 78-2-2004-25 आई0टी0/ 2001, दिनांक 17 फरवरी,2004 द्वारा इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 को भी कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-08/ 78-आई0टी0-2001 दिनांक 12 सितम्बर,2001 के प्रस्तर-2 के उप-प्रस्तर 'ख' में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, निकाय, परिषद तथा स्वायत्तशासी निकाय कम्प्यूटर क्रय हेतु अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 को भी क्रयादेश दे सकेंगे ।

3- शासनादेश संख्या-08/ 78-आई0टी0-2001 दिनांक 12 सितम्बर,2001 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगीं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र वाजपेई)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः...2/- पर

9174
28/9/04

संख्या-785(1)/ 78-2-2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/ सचिव ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, निकायों , परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
6- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0/ यू0पी0डेस्को, लखनऊ ।
9- उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/ श्रीट्रान इण्डिया लि0, शाहिबाबाद, गाजियाबाद , उ0प्र0 ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(अशोक कुमार)
उपसचिव ।

२४५
6/7/05

संख्या–1089/ 78–2–2005–81इले0 / 99

जोहरा चटर्जी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,उ0प्र0 ।
3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0–2 | लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई,2005

विषय–सरकारी सेवकों / निगमों / निकायों / समितियों के कार्मिकों एवं अध्यापकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या–1157 / 78–आई0टी0–2001 दिनांक 13 अगस्त,2001 एवं शासनादेश संख्या–1157(2) /78–आई0टी0–2001 दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 द्वारा सरकारी सेवकों / निगमों / निकायों / समितियों के कार्मिकों एवं अध्यापकों के कम्प्यूटर-प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों / केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में शासनादेश संख्या–1220 / 78–आई0टी0–2–2002 दिनांक 10 जुलाई,2002 द्वारा यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0./ अपट्रान इण्डिया लि0 तथा यू0पी0डेस्को के फेन्चाइजी केन्द्रों को, कार्मिको के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया गया है।

2– उपरोयत के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित शासनादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा अधिकृत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 / श्रीट्रान इण्डिया लि0 के फेन्चाइजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र भी सरकारी सेवकों / निगमों / निकायों / समितियों के कार्मिकों एवं अध्यापकों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकृत होंगे । पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(जोहरा चटर्जी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1089(1) / 78–2–2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महामहिम श्री राज्यपाल जी के प्रमुख सचिव ,उ0प्र0 ;
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त ;
प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक।
– प्रबन्ध निदेशक अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 / श्रीट्रान इण्डिया लि0 साहिबाबाद [illegible], उ0प्र0।
– प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को / यू0पी0[illegible], लखनऊ ।
– [illegible]।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(अशोक कुमार)
उपसचिव

3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. प्रदेश समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एल.सी./यू.पी.डेस्को, लखनऊ।
9. उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0,शाहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अशोक

(अशोक कुमार)

उप सचिव।

प्रेषक,

ज़ोहरा चटर्जी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2006

विषय: कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 द्वारा विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषद तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विकसित कराने हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 2002 में यू0पी0डेस्को तथा यू0पी0एल0सी0 को एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विकसित कराने हेतु अधिकृत किया गया था।

2. इस सम्बंध में शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 के प्रस्तर-4 के उप-प्रस्तर 'ख' में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, निकाय, परिषद तथा स्वायत्तशासी निकाय एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विकसित कराने हेतु अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 गाजियाबाद को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिकृत किया जाता है:-

1. एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकास/आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्नगत कम्पनियाँ तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से सक्षम हों तथा आपूर्ति किए जाने वाले साफ्टवेयर का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कम्पनियों का होगा।
2. एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकास/आपूर्ति का सम्बन्धित कम्पनियों के आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन में इन कार्यों का समावेश हो।

3. शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीया,
(ज़ोहरा चटर्जी)
प्रमुख सचिव

संख्या-137(1)/ 78-2-2006-11 आई0टी0/2001, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. निजी सचिव,मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।

क्रमशः....2...